न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

विद्यापतिनगर थाना काण्ड सं0 28/21, कम्पयूटर निबंधन सं0 305/21

24.8.21 *आवेदक* ***1.अभिराम कुमार, उर्फ अभिराम महतो, पिता–सोनेलाल महतो, ग्राम–वाजिदपुर, थाना–विद्यापतिनगर, जिला–समस्तीपुर,*** *जो विद्यापतिनगर थाना काण्ड सं0 28/21, धारा–30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 11.8.21 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।*

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसकी ओर से पूर्व में दाखिल ए 0बी0पी0 963/21 खारिज हो गया है। उसके पश्चात उनकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन, मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में, न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है, कि उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया है। तथाकथित बरामद शराब एवं सह अभियुक्तों से उनका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरूद्व नही बनती है। उसके विरूद्व पूर्व से एक वाद लम्बित है जिसमें वह जमानत पर है। वह दिनांक 11.8.21 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व अपने भाई सुधीर महतो के साथ मिलकर देशी शराब चुलाकर जहॉ–तहॉ बिक्री करने का आरोप है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है,कि सूचक द्वारा आवेदक अभियुक्त के पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। वह दिनाक 11.8.21 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त ***1.अभिराम कुमार उर्फ अभिराम महतो*** *को मो0 10,000/–रू0(दस हजार)रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। एक जमानतदार अभियुक्त का निकटतम संबंधी होगा। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।*

(लेखापित)

वि0 न्या0उत्पाद